न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुधाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख)के अंतर्गत

परमिशन वाद सं0 99 वर्ष 2024

आवेदक–मितोन सोरेन	केता–सूरज मुनि बास्के
ग्राम–कुसमान्डो, ललपनिया	ग्राम– कुसमान्डो, ललपनिया
थाना–ललपनिया जिला–बोकारो	थाना–ललपनिया जिला–बोकारो

आदेष की क0सं0 तारीख 01	आदेश एंव पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेष पर की कार्रवाई के बा टिप्पणी तारीख 03

06/11/24

आदेश

यह वाद आवेदक–मितोन सोरेन, पिता–स्व0 शिवराम मांझी, ग्राम–कुसमान्डो, ललपनिया, थाना–ललपनिया, जिला–बोकारो के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(क) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिकी रकबा	भूमि दर्जा
ललपनिया	131	15	609	23½डी0	08 डी0	घरबाडी टॉड

को वो आवश्यक कार्य हेतु मो 90,000/–(नब्बे हजार) रूपये में केता– सूरज मुनी बास्के, पति–श्री मितोन सोरेन, कुसमान्डो, ललपनिया, थाना– ललपनिया, जिला–बोकारो के साथ बिकी करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर कश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यलय के पत्रांक 1111/रा0, दिनांक–09.10.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी गोमिया से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिकी अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी गोमिया के पत्रांक–865, दिनांक–25.10.2024 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा उल्लेख किया गया हैं किः–

01. बिकेता एंव केता दोनों संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अतंर्गत आते हैं। बिकेता एंव केता दोनों एंक ही थाना एंव जिला–बोकारो के निवासी हैं।
02. बिकी की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में बड़का मांझी के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0–159, भौलुम सं0–4 में शिवराम मांझी के नाम से जमाबंदी कायम हैं एंव लगान रसीद वर्ष–1976–77 से 2024–25 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार केवाला हैं।
03. खतियानधारी रैयत से बिकेता का संबंध पिता का है। बिकी की जाने वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अतंर्गत आता है एंव बिकेता का दखल कब्जा में हैं।
04. प्रस्तावित भूमि भू–हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिकेता को प्रस्तावित भूमि की बिकी करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिकेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया हैं कि आवेदनाकिंत जमीन सर्वे खतियान में बड़का मांझी के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0–159, भौलुम सं0–4 में शिवराम मांझी के नाम से जमाबंदी कायम हैं एंव लगान रसीद वर्ष–1976–77 से 2024–25 तक निर्गत हैं। बिकी वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

केता का कहना है कि उन्होने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन पर कोई विवाद नहीं हैं, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करतें हैं:–

01. बिकेता– खतियान की छायाप्रति, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. केता– आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनो पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिकेता एंव केता दोनों संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अतंर्गत आते हैं। बिकेता एंव केता दोनों एक ही थाना एवं जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिकेता के हिस्से की जमीन है, जो केवाला घरेलु बँटवारा के आधार पर हासिल हैं जिसे वे आश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक– मितोन सोरेन, पिता–स्व0 शिवराम मांझी, ग्राम–कुसमान्डो, ललपनिया, थाना– ललपनिया, जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमिः–

मौजा	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उत्तर सीमा	द0 सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
ललपनिया 131	15	609	23½ डी0	08 डी0	नीज	रास्ता	मोतिया मांझी	रंजन मांझी
			कुल	08 डी0 (आठ डिसमिल जमीन मात्र)				

मो0 90,000/–(नब्बे हजार) रूपय या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनत्म भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से केता– सूरज मुनी बास्के, पति–श्री मितोन सोरेन, कुसमान्डो, ललपनिया, थाना– ललपनिया, जिला–बोकारो के साथ बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एंव संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

Digitally signed by MUKESH MACHHUWA
Date: 2025.01.01 23:18:50 -08:00
Location: 192.168.1.34